मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 (फाल्गुन 29, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री संभाजीराव चन्द्रोजीराव आंग्रे, भूतपूर्व सदस्य राज्य सभा,

(2) श्री सीताराम साधो, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा

(3) श्री उत्तमचंद इसराणी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भूतपूर्व प्रांत संघचालक.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2005-2006);

(ख) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 का व्याख्यात्मक ज्ञापन, तथा

(ग) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश का हिन्दी रूपांतर,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का (राजस्व प्राप्तियां) तथा (सिविल) पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश का पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार उच्च शिक्षा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ-36-10-03-3-अड़तीस, दिनांक 2 जून, 2007, तथा

(2) अधिसूचना क्रमांक आर-क्र-1016-सी सी-07 अड़तीस, दिनांक 2 जनवरी, 2008,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) (ख) की अपेक्षानुसार मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का 45वां वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगी.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गोविन्द सिंह पटेल, सत्यदेव कटारे, जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर लूटपाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ताराचंद बावरिया, पं. रमेश दुबे, श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम डोंगर परासिया में शासकीय भूमि पर डायमण्ड कोल ट्रेडर्स द्वारा अतिक्रमण किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना नगर में पेयजल संकट होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली नाके पर टोल टैक्स कर्मचारियों द्वारा किसानों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री किशोर समरीते, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम फोफसा में एक छात्रा के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में गेहूं के स्थान पर बाजरा प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के विकासखंड जतारा में पंचायतकर्मियों की भर्ती में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड एवं दतिया जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत गंभीर अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री प्रेमचन्द गुड्डू,सदस्य, इंदौर सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के साथ मारपीट कर लूटपाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य, शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के संजय सरोवर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा थानान्तर्गत मेहतवास स्थित जैन मंदिर से मूर्ति चोरी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर निगम को गैस दावा मुआवजा अधिकरण द्वारा दी गई राशि के चेक गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, प्रदेश के वन ग्रामों में अधोसंरचना हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सबसुख के पुरा से शिक्षकों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(18) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल एवं सीहोर जिले में अवैधानिक रूप से खनिज सम्पदा का परिवहन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले की कराहल तहसील में चोरी की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामगुलाम उईके, सदस्य, सिवनी जिले में विद्युत वोल्टेज की कमी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में विद्युत कटौती से कृषि कार्य प्रभावित होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री अर्जुन पलिया, किशोर समरीते, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हत्या के फर्जी प्रकरण कायम किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम विचपुरा एवं ददरा टोला में लगे क्रेशर मशीनों द्वारा स्वीकृत लीज से अधिक क्षेत्र में उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(24) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले की नगर पालिकाओं में पेयजल परिवहन के नाम पर अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के कुटनी बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर,सदस्य, टीकमगढ़ स्थित बैकुण्ठी निवास में डकैती होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दवाओं का अभाव होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प निगम द्वारा भैरवगढ़ के पारंपरिक छपाई का कार्य न कराये जाने की ओर राज्यमंत्री ग्रामोद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा मऊरानीपुर सड़क मार्ग पर एक महिला सहित चार बच्चों की लाशें पाई जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड से व्यापारी का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में केरोसीन न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजेश पटेल, सुनील नायक, सदस्य, हरदा में स्टाम्प वेंडरों द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भोपाल सहित प्रदेश के अनेक जिलों में आपराधिक घटनाएँ घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य, सीहोर कोतवाली पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री अजय सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की सीमा पर बनने वाले उर्मिल बांध पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से जेकवेल का निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-3-

(36) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, अश्विन जोशी, सदस्य, प्रदेश के कोषालयीन अधिकारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के मैहर क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी सुरक्षा योजना का लाभ हितग्राहियों को न मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, गुना जिले के झागर पुलिस चौकी में पदस्थ ए.एस.आई. द्वारा पुलिस प्रताड़ना से आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम व पोस्ट मलाह पिपरिया से शराब की दुकान हटाये जाने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) जौरा तहसील की बर्रेड़ हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) जौरा तहसील के ग्राम पहाड़गढ़ में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री रामदास उइके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) जुन्नारदेव नगर की चन्द्रशेखर माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) विकास खण्ड मोहखेड़ के ग्राम प्रधान घोघरी में हाईस्कूल खोले जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) उप तहसील बड़ोदा की कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) उप तहसील बड़ोदा के बाबूनन्दन की पुलिया से शिववाड़ी रोड की पुलिया तक डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम गलमान्या के समीप खाड़ी पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(घ) गिरधरपुर-दांतरदा मार्ग में बागड़ नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम सिरसोद में पेयजल समस्या दूर करने हेतु हैण्डपंपों का उत्खनन कराये जाने,

(च) ग्राम अजापुरा में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,

(छ) ग्राम किलोरच में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ज) ग्राम खातोली से टर्रा माफी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं नवम् (कार्यान्वय) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

7. मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"मध्यप्रदेश विधान सभा की वर्ष 2007-2008 की अवधि के लिये गठित समस्त सभा समितियों के कार्यकाल में वर्तमान बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल पर्यन्त वृद्धि की जाय.".

8. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय.".

(2) श्री लालसिंह आर्य, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"कुप्रबंधन के कारण विद्युत उत्पादन कम एवं व्यय अधिक होने विषयक विशेष जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय.".

9. वन मंत्री का वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, दिनांक 23 मार्च, 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 2305) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2008